न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय,
नवगछिया, भागलपुर

वर्तमानः **नीतू कुमारी**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, नवगछिया, भागलपुर

दिनांक–24वीं मार्च, 2026

सत्र वाद संख्या–138/2020

विचारण संख्या – 462/2025

साधारण पंजीवाद संख्या–13(B)/2001

नवगछिया थाना कांड संख्या – 07/2001 (08.01.2001)

सूचक	दिगम्बर प्रसाद सिंह, उम्र लगभग 54 वर्ष, पिता– माधव प्रसाद सिंह। साकिन–ढोढ़िया, थाना–नदी थाना, जिला–भागलपुर।
विद्वान अधिवक्ता	अपर लोक अभियोजक, श्री रविन्द्र पासवान।
अभियुक्त	1.राम चन्द्र राय, उम्र लगभग 40 वर्ष, पिता–स्व0 बुची राय। साकिन–पकड़ा, थाना–नवगछिया, जिला–भागलपुर।
विद्वान अधिवक्ता	श्री शंभुनाथ झा।

आरोप अंतर्गत धारा – 395 भारतीय दण्ड संहिता।

प्रथम सूचना रिपोर्ट– नवगछिया थाना कांड संख्या – 07/2001 (08.01.2001)

अंतर्गत धारा– 395 भारतीय दण्ड संहिता।

पूरक आरोप पत्र संख्या– 312/2002, (19.02.2002)

अंतर्गत धारा– 395 भारतीय दण्ड संहिता।

24/03/26

District and Additional Sessions Judge-III * Naugachia *

घटना की तिथि	08.01.2001
प्राथमिकी की तिथि	08.01.2001
पूरक आरोप पत्र की तिथि	19.02.2002
आरोप गठन की तिथि	08.02.2022
साक्ष्य प्रारंभ की तिथि	08.02.2022
निर्णय सुरक्षित रखने की तिथि	.....
निर्णय की तिथि	24.03.2026
सजा आदेश की तिथि, यदि हो	–N/A

सूची–अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय साक्षीगण

क्रम	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंचनामा साक्षी, अन्य साक्षी)
Pw-1	दिगम्बर प्रसाद सिंह	सूचक साक्षी

Pw-2	बिशुण्णदेव सिंह	अन्य साक्षी
Pw-3	लक्ष्मुण सिंह	अन्य साक्षी
Pw-4	मो0 खोखा	अन्य साक्षी
Pw-5	मो0 इसाराईल	अन्य साक्षी
Pw-6	छंगुरी उर्फ इकराम	अन्य साक्षी
Pw-7	मो0 उदीन	अन्य साक्षी

B. प्रतिरक्षा साक्षीगण, यदि है

क्रम	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंचनामा साक्षी, अन्य साक्षी)
	--	

C. न्यायालय साक्षी, यदि है।

क्रम	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंचनामा साक्षी, अन्य साक्षी)
	--	

सुची–अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्श

A. अभियोजन:

24/03/26

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	N/A	N/A

District and Additional Sessions Judge-III Naugachia

निर्णय

1. एकमात्र अभियुक्त 1. राम चन्द राय का धारा – 395 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप हेतु आरोप गठन दिनांक–08.02.2022 हेतु विचारण किया गया है।

2. सूचक के मौखिक आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक का सारांश यह है कि मेरा नाम दिगम्बर प्रसाद सिंह, पिता–माधव प्रसाद सिंह, ग्राम–पकड़ा, थाना–नवगछिया, जिला–भागलपुर है। मैं आज दिन सोमवार तारीख 08.01.2001 को करीब सवा आठ बजे शामिल अपने ग्रामीण मो0 युनूस के नवगछिया थाना पर आकर थाना के बड़ा बाबू के सामने बयान देता हूँ कि मैं शामिल अपने ग्रामीण मो0 युनूस, मो0 इकराम, मो0 जाकीर एवं अन्य के साथ रिक्शा पर चढ़कर सुबह नवगछिया स्टेशन आ रहा था। हमलोग का रिक्शा सुबह करीब साढ़े पाँच बजे धानुक टोला पकड़ा स्थित ट्रान्सफरमर के पास पहुँचा तो हमलोग को मेरे ही गाँव के मुन्ना सिंह, पिता–केसरी सिंह, बउवा कुंवर, पिता–स्व0 अनुप कुंवर एवं अन्य 7–8 व्यक्ति घेर लिए, सभी बन्दुक, मास्केट, पिस्तौल से लैश थे। वे हमलोगों के शरीर में अपना–अपना हथियार सटा दिये तथा हमलोगों का रूपया छीन लिये अन्य अज्ञात व्यक्ति को

देख कर मैं पहचान लुँगा। अपराधकर्मी मुझसे 17,000 रूपये, मो0 युनूस से 12,000 रूपये, मो0 जाकीर से 10,500, मो0 खोखा से 15,000 रूपये छिन लिया अन्य व्यक्ति से कितना रूपया छिना नहीं बता सकता हूँ। सभी अपराधी मेरा स्थानीय भाषा बोल रहे थे। उनकी उम्र करीब 25 से 30 वर्ष था। अपराधकर्मी लोग हमलोगों को विरोध करने पर लप्पड़, थप्पड़ से मारे है।

यही मेरा बयान है अपना बयान पढ़ावकर, सुन व समझ लिया ठीक पाकर अपने बायें हाथ के अँगुठे का निशान बना दिया।

3. सूचक के मौखिक आवेदन के आधार पर नवगछिया थाना कांड संख्या–07/2001, दिनांक–08.01.2001 अन्तर्गत धारा–395 भा0द0वि0 अन्तर्गत अभियुक्त 1. मुन्ना सिंह एवं 2. बउवा कुंवर एवं 7–8 अज्ञात के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी। अनुसंधानकर्ता ने अनुसंधान के क्रम में घटना को सत्य पाते हुए प्राथमिकी के अन्य अभियुक्तों पर अनुसंधान जारी रखते हुए प्राथमिकी एवं अप्राथमिकी तीन अभियुक्तगण 1. बउवा कुंवर उर्फ शंकर कुंवर 2. संतोष कुमार शर्मा एवं 3. अखिलेश कुमार यादव के विरूद्ध आरोप–पत्र संख्या– 71/2001, दिनांक– 14.04.2001 को समर्पित किया। तत्पश्चात् दूसरे पूरक आरोप–पत्र संख्या–312/2002, दिनांक–19.10.2002 को अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर प्राथमिकी अभियुक्त 1. मुन्ना सिंह 2. अप्राथमिकी अभियुक्त सुधांशु कुमर 3. राम चन्द्र राय 4. डब्लु साह 5. पप्पु साह को फिरार दिखाते हुए अप्रथामिकी अभियुक्त झोटहना राय के विरूद्ध धारा–395 के अन्तर्गत समर्पित किया है। दिनांक–29.10.2018 को अप्राथमिकी अभियुक्त 1. राम चन्द्र राय न्यायायल में आत्मसमर्पण किये है तदुपरांत विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम नवगछिया द्वारा अप्राथमिकी अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया उक्त धाराओं में अपराध पाते हुए उपरोक्त धारान्तर्गत दण्डनीय अपराध का् अभियुक्त राम चन्द्र राय के विरूद्ध धारा–395 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दिनांक–21.10.2002 के आदेश द्वारा अपराध का संज्ञान लिया गया। अभिलेख दिनांक–17.02.2020 को धारा–395 सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण अभिलेख को सत्र न्यायालय को वाद दौरा सुपुर्द किया गया। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश दिनांक–07.03.2020 द्वारा विचारण एवं निष्पादन क्रम में वाद हस्तांतरित कर विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय नवगछिया को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात् भिन्न–भिन्न न्यायालयों से होता हुआ, दिनांक–18.09.2025 श्रीमान् प्रधान जिला न्यायाधीश के आदेश से अभिलेख विचारण एवं निष्पादन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

24/03/26

District and Additional Sessions Judge • Naugachia •

4. एकमात्र अभियुक्त 1. राम चन्द्र राय के विरुद्ध दिनांक–27.03.2021 को धारा – 395 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप का गठन किया गया तथा उसकी विशिष्टियां अभियुक्त को हिंदी मे पढ़कर सुनाई एवं समझाई गई। अभियुक्त ने दोषी होने का अभिवाक् नहीं किया तथा वाद विचारण का दावा किया।

5. इस वाद में अभियोजन का साक्ष्य प्रकरण बंद होने के पश्चात धारा – 313 द0 प्र0 स0 के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में दिनांक–10.02.2026 को अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य से इनकार किया है तथा अपने को निर्दोष बतलाया है।

6. अब इस वाद में मुख्य विनिश्चय का प्रश्न है कि क्या अभियोजन पक्ष, एकमात्र अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोप को सभी युक्तिसंगत संदेहों की छाया से परे साबित करने में सफल रहा है?

निष्कर्ष

7. अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल सात साक्षियों ने क्रमशः अभियोजन साक्षी संख्या – 1 दिगम्बर प्रसाद सिंह(सूचक), साक्षी संख्या –2 बिशुष्णदेव सिंह(पक्षद्रोही), साक्षी संख्या–3 लक्षमण सिंह (पक्षद्रोही), साक्षी संख्या–4 मो0 खोखा (पक्षद्रोही), साक्षी संख्या–5 मो0 इसराईल (पक्षद्रोही), साक्षी संख्या–6 छंगुरी उर्फ इकराम (पक्षद्रोही), साक्षी संख्या–7 मो0 उदीन (पक्षदोही) को परीक्षित कराया गया है। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अभियोजन द्वारा प्रदर्श अंकित नहीं कराया गया है।

8. प्रतिरक्षा पक्ष की तरफ से किसी प्रकार का मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। निर्दोषिता तथा मिथ्या आरोप ही प्रतिरक्षा पक्ष का बचाव है।

अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के मुख्य परीक्षण एवं प्रति–परीक्षण के आधार पर।

9. अभियोजन साक्षी संख्या – 1 दिगम्बर प्रसाद सिंह(सूचक) हैं, अपने मुख्य परीक्षण के में कथन किया है कि मैं इस केस का सूचक हूँ। 17–18 साल पहले की घटना है। सुबह का समय था। जाड़ा का समय था गाय लेकर स्टेशन आ रहा था तो रास्ते में मेरा पैसा छिन लिया। पैसा कौन छिना था मुझे पता नहीं चल पाया था। पुलिस में मेरा बयान नहीं हुआ था। नाम के बिन्दू पर पक्षद्रोही घोषित किया गया–ऐसी बात नहीं है कि दिनांक–08.01.2001 को 5:30 बजे सुबह में पकड़ा से नवगछिया के तरफ मवेशी लेकर जा रहा था तो उसी क्रम में राम चन्द्र राय ने मेरा रूपया लुट लिया था। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को नहीं पहचानता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि अभियुक्त से मिलकर मैं झूठी गवाही दिया हूँ।

24/03/26

अभियुक्त की ओर से प्रति–परीक्षण में सूचक साक्षी का कथन है कि लिखित आवेदन मुझे पढ़कर नहीं सुनाया गया था। मै पुलिस को किसी का नाम नहीं बताया था। मै आज बयान राजी, खुशी से दिया हूँ।

10. अभियोजन साक्षी संख्या –2 बिशुष्णदेव सिंह(पक्षद्रोही) हैं, अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के बारे में नहीं जानता हूँ। पुलिस में मेरा बयान नहीं हुआ था। अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित–ऐसी बात नहीं है कि मैं पुलिस को कहा था कि दिनांक–08.01.2001 को 8:30 बजे रात्रि में अपने ग्रामीण मो0 युनूस के साथ रिक्शा पर चढ़कर घर जा रहे थे तो रास्ते में राज किशोर उर्फ झोटहना ने मेरा 3200 रूपया लूट लिया था। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को नहीं पहचानता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं मुदालय के मेल में आकर झूठी गवाही दिया हूँ।

अभियुक्त की ओर से प्रति–परीक्षण में साक्षी का कथन है कि मैं आज राजी, खुशी से गवाही दिया हूँ। कोर्ट से नोटिस गया था उसी पर मैं गवाही देने आया हूँ।

11. अभियोजन साक्षी संख्या –3 लक्षमण सिंह (पक्षद्रोही) हैं, अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के बारे में नहीं जानता हूँ। पुलिस में मेरा बयान नहीं हुआ था। अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित–ऐसी बात नहीं है कि मैं पुलिस को कहा था कि दिनांक–08.01.2001 को 8:30 बजे

रात्रि में अपने ग्रामीण मो0 युनूस के साथ रिक्शा पर चढ़कर घर जा रहे थे तो रास्ते में राज किशोर उर्फ झोटहना ने मेरा 3200 रूपया लुट लिया था। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को नहीं पहचानता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं मुदालय के मेल में आकर झूठी गवाही दिया हूँ।

अभियुक्त की ओर से प्रति–परीक्षण में साक्षी का कथन है कि मैं आज राजी, खुशी से गवाही दिया हूँ। कोर्ट से नोटिस गया था उसी पर मैं गवाही देने आया हूँ।

12. अभियोजन साक्षी संख्या–4 मो0 खोखा (पक्षद्रोही) हैं, अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना के बारे में नहीं जानता हूँ। पुलिस में मेरा बयान नहीं हुआ था। अभियोजन के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया–ऐसी बात नहीं है कि मैं पुलिस को कहा था कि घटना के दिन मैं जा रहा था तो घटनास्थल के पास बउवा कुंवर के पास गया तो बउवा कुंवर, मुन्ना सिंह, अखिलेश यादव, सुधांशु कुंवर खड़ा था सभी के पास बंदूक था। दक्षिण तरफ से मुन्ना सिंह आया और सभी मुदालय उसका रूपया छिनने लगा और मारपीट किया। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त राम चन्द्र राय है जिसे पहचानता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं अभियुक्तों से मिलकर झूठी गवाही दिया हूँ।

अभियुक्त की ओर से प्रति–परीक्षण में साक्षी का कथन है कि मैं आज न्यायालय में स्वेच्छा से बयान दिया हूँ। राम चन्द्र राय अभियुक्त मेरे ग्रामीण है इसलिए पहचानता हूँ।

13. अभियोजन साक्षी संख्या–5 मो0 इसराईल (पक्षद्रोही) हैं, अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना के बारे में नहीं जानता हूँ। पुलिस में मेरा बयान नहीं हुआ था। अभियोजन के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया–ऐसी बात नहीं है कि मैं पुलिस को कहा था कि घटना के दिन मैं जा रहा था तो घटनास्थल के पास बउवा कुंवर के पास गया तो बउवा कुंवर, मुन्ना सिंह, अखिलेश यादव, सुधांशु कुंवर खड़ा था सभी के पास बंदूक था। दक्षिण तरफ से मुन्ना सिंह आया और सभी मुदालय उसका रूपया छिनने लगा और मारपीट किया। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त राम चन्द्र राय है जिसे पहचानता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं अभियुक्तों से मिलकर झूठी गवाही दिया हूँ।

24/03/26

अभियुक्त की ओर से प्रति–परीक्षण में साक्षी का कथन है कि मैं आज न्यायालय में स्वेच्छा से बयान दिया हूँ। राम चन्द्र राय अभियुक्त मेरे ग्रामीण है इसलिए पहचानता हूँ।

14. अभियोजन साक्षी संख्या–6 छंगुरी उर्फ इकराम (पक्षद्रोही) हैं, अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि इस मुकदमा के बारे में नहीं जानते है। पुलिस में मेरा बयान नहीं हुआ था। अभियोजन के निवेदन गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया–ऐसी बात नहीं है कि मैनें पुलिस के समक्ष अपने बयान में ऐसा कहा था कि तारीख 8 जनवरी 2001 को आप मेरे ग्रामीण युनूस, इकराम सुबह में नवगछिया स्टेशन आ रहा था जब मेरा रिक्शा धानुक टोला पकड़ा पहुँचा, देखा कि मुन्ना सिंह पाँच, सात आदमी के साथ ग्रामीणों को घेर लिया। सबों के हाथ में बन्दूक, पिस्तौल और मास्केट था। शरीर में हथियार सटा दिया और हमलोगों का रूपया छिन लिया। अपराधी स्थानीय भाषा में बोल रहे थे सबों का उम्र 30 वर्ष का था। विरोध करने पर लप्पड़, थप्पड़ से मार किया। आज न्यायालय में उपस्थित मुदालय

राम चन्द्र है जिसे पहचानता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं मुदालय से मिलकर झूठी गवाही दे रहा हूँ।

अभियुक्त की ओर से प्रति–परीक्षण में साक्षी का कथन है कि मुदालय राम चन्द्र मेरे ग्रामीण है इसलिए पहचानते है। आज मैं स्वेच्छा से बयान दिया है।

15. अभियोजन साक्षी संख्या–7 मो0 उदीन (पक्षद्रोही) हैं, अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि इस मुकदमा के बारे में नहीं जानते है। पुलिस में मेरा बयान नहीं हुआ था। अभियोजन के निवेदन गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया–ऐसी बात नहीं है कि मैनें पुलिस के समक्ष अपने बयान में ऐसा कहा था कि तारीख 8 जनवरी 2001 को आप मेरे ग्रामीण युनूस, इकराम सुबह में नवगछिया स्टेशन आ रहा था जब मेरा रिक्शा धानुक टोला पकड़ा पहुँचा, देखा कि मुन्ना सिंह पाँच, सात आदमी के साथ ग्रामीणों को घेर लिया। सबों के हाथ में बन्दूक, पिस्तौल और मास्केट था। शरीर में हथियार सटा दिया और हमलोगों का रूपया छिन लिया। अपराधी स्थानीय भाषा में बोल रहे थे सबों का उम्र 30 वर्ष का था। विरोध करने पर लप्पड़, थप्पड़ से मार किया। आज न्यायालय में उपस्थित मुदालय राम चन्द्र है जिसे पहचानता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं मुदालय से मिलकर झूठी गवाही दे रहा हूँ।

अभियुक्त की ओर से प्रति–परीक्षण में साक्षी का कथन है कि मुदालय राम चन्द्र मेरे ग्रामीण है इसलिए पहचानते है। आज मैं स्वेच्छा से बयान दिया है।

16. बहस के दौरान विद्वान अपर लोक अभियोजक ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन ने अपने मामले को साबित करने हेतु सूचक सहित अन्य छह अभियोजन साक्षियों को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है, जिन्होनें अभियोजन के मामले का समर्थन किया है। सफाई पक्ष की ओर से उक्त सभी सातों साक्षियों के प्रति–परीक्षण में किसी प्रकार का संदिग्धता या विरोधाभास उत्पन्न नहीं किया गयां है। ऐसी स्थिति में अभियोजन अपने मामले को संदेह के परे मामले साबित कर पाने में पूर्णतया सफल रहे है। अतः एकमात्र अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाय।

24/03/26

17. बहस के दौरान सफाई पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन का उक्त मामला पूर्णतः संदेह पर आधारित है, मिथ्या है, ग्रामीण राजनीति के कारण अभियुक्तों को जानबूझकर झूठा मामला में फंसाया गया है। अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत साक्षी संख्या–2, 3, 4, 5, 6 एवं 7 अपने मुख्य परीक्षण में पक्षद्रोही हो गये है जिससे अभियोजन के केस को समर्थन नहीं मिल पाता है सभी ने अपने–अपने प्रति–परीक्षण में कहा है कि मैं स्वेच्छा से बयान दिया है। कोर्ट के नोटिस पर गवाही गवाही देने आया हूँ। मुदायल मेरे ग्रामीण है इसलिए पहचानते है। साक्षी संख्या–1 सूचक दिगम्बर प्रसाद सिंह अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि मैं स्टेशन से आ रहा था तो रास्ते में पैसा छिन लिया, पैसा कौन छिना मुझे पता नहीं चल पाया था। पुलिस में मेरा बयान नहीं हुआ था। अपने प्रति–परीक्षण में सूचक साक्षी कहते है कि लिखित आवेदन मुझे पढ़कर नहीं सुनाया गया था। मैं पुलिस को किसी का नाम नहीं बताया था। इस तरह सूचक के मुख्य परीक्षण और प्रति–परीक्षण से पता चलता है कि सूचक का पैसा कौन छिना पता नहीं चला और ना ही सूचक ने पैसा छिनने वाले को देखा है और ना

ही पहचाना है। उपरोक्त बातों से ज्ञात होता है कि सूचक द्वारा दिये गये मौखिक अवेदन और कोर्ट में दिये गये बयान में विरोधाभाष उत्पन्न पाया जाता है इसके अलावे अन्य अभियोजन साक्षियों के गवाही से घटना का पूर्ण समर्थन नहीं मिलता है। इस मामले में अभियोजन के द्वारा अनुसंधानकर्ता एवं अन्य स्वतंत्र साक्षी की गवाही नहीं करायी गयी है जिससे कि अभियोजन अपने मामले को साबित कर पाने में सर्वथा असफल रहा है। अतः एकमात्र अभियुक्त को दोषमुक्त करने की कृपा की जाय।

मंतव्य

18. उपर्युक्त तथ्यों, उभय पक्षों के तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा वाद की परिस्थितियों के विवेचनोपरांत इस न्यायालय का यह अभिमत है कि सफाई पक्ष के तर्कों में बल पाया जाता है। इस मामले में अभियोजन के द्वारा कुल 07 अभियोजन साक्षियों की गवाही करायी गयी है। सूचक सहित अन्य किसी भी साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन के द्वारा अनुसंधानकर्ता एवं अन्य स्वतंत्र साक्षियों की गवाही नहीं करायी गयी है जिससे कि घटना, घटनास्थल, घटना का कारण साबित नहीं होता है। अभियोजन पक्ष एकमात्र अभियुक्त 1. राम चन्द्र राय के विरूद्ध आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा– 395 भारतीय दण्ड संहिता आरोप को युक्तिसंगत संदेहों की छाया से परे साबित करने में सर्वथा असफल रहा है।

अतः एकमात्र अभियुक्त को धारा– 395 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय आरोप से सम्पूष्ट साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

19. अतः एकमात्र अभियुक्त 1. राम चन्द्र राय को सम्पूष्ट साक्ष्य के अभाव मे दोषी ना पाकर धारा – 395 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से संदेह का लाभ देते हुये सम्पूष्ट साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त एवं उनके जमानतदारों को उनके बंधपत्र एवं उनके प्रतिभुओं को उनके प्रतिभू के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)
Nitu Kumari
24/03/26
(नीतू कुमारी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय
नवगछिया, भागलपुर।
दिनांकः–24.03.2026

District and Additional Sessions Judge-III • Naugachia •

लेखापित
Nitu Kumari
24/03/26
(नीतू कुमारी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय
नवगछिया, भागलपुर।
दिनांक :– 24.03.2026

मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, शुद्धिकृत, उद्घोषित कुल 07 पन्ना निर्णय पत्र।